Chhattisgarh State Power Generation Company Ltd.

Public Notice

In compliance to section 62 and 86 of the Electricity Act, 2003 and relevant provisions of Chhattisgarh State Electricity Regulatory Commission (Terms and Conditions for determination of tariff according to Multi-Year Tariff principles and Methodology and Procedure for determination of Expected revenue from Tariff and Charges) Regulations, 2021, Chhattisgarh State Power Generation Company Ltd. (CSPGCL) has filed a Petition for approval of Capital Investment Plan for the FY 25-26 before the Hon'ble Chhattisgarh Electricity Regulatory Commission (CSERC), which has been registered by the Hon'ble Commission as petition no 99/2024. The petition includes total 72 schemes for conventional hydel and thermal plants of CSPGCL which include pre-approved schemes and schemes for in-principle approval. The petition also include prayer for special allowance for HTPS, Capital cost revision of GP III mine and HO building at Nava Raipur. Additionally, status update of all principally approved schemes including Emission Control Systems along with the update on the new 2X660 MW plant at Korba West has also been submitted.

Objections / Suggestions, on the above petition, may be submitted to the Secretary, Chhattisgarh State Electricity Regulatory Commission, Irrigation Colony, Shanti Nagar, Raipur – 492001 (CG), E-mail: cserc.sec.cg@nic.in with a copy to Chief Engineer (C&RA), CSPGCL, Vidyut Sewa Bhawan Daganiya Raipur – 492013, Email: edcnra@cspc.co.in, within 21 days of publication of this notice.

Copy of this notice and the petition are also available on the Commission's website www.cserc.gov.in and CSPGCL website https://cspgcl.co.in. Hardcopy of the aforesaid petition is available in office of the Commission as well as in the office of Chief Engineer (C&RA) CSPGCL and same can be purchased by paying an amount of Rs. 100/- from 11 AM to 4 PM on any working day. The copy of the petition may also be obtained by post by paying an additional amount of Rs. 50/- as postal expenses. Notice for hearing on aforesaid petition shall be published separately by CSERC in the newspapers.

Chief Engineer (C&RA)
CSPGCL, Raipur

छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत उत्पादन कंपनी लिमिटेड

<u>आमसूचना</u>

विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 62 एवं 86 के प्रावधानों एवं छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग (बहुवर्षीय टैरिफ सिद्धान्तों के अनुरूप टैरिफ के निर्धारण और टैरिफ एवं प्रभारों से अनुमानित राजस्व के अवधारण हेतु अपनायी जाने वाली कार्य प्रणाली एवं प्रक्रिया तथा निबंधन एवं शर्तें) विनियम, 2021 के प्रावधानों के अनुपालन में छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत उत्पादन कंपनी लिमिटेड (सी.एस.पी.जी.सी.एल.) के द्वारा पूँजीगत निवेश योजना वित्तीय वर्ष 2025–26 के अनुमोदन हेतु माननीय छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग (सी.एस.ई.आर.सी.) के समक्ष याचिका प्रस्तुत की गई हैं, जिसे माननीय आयोग द्वारा याचिका क्र. 99/2024 के रूप में पंजीकृत किया गया है। याचिका में सी.एस.पी.जी.सी.एल. के पारंपरिक ताप एवं जल विद्युत गृहों हेतु कुल 72 योजनाएँ सम्मिलित हैं, जिनमें पूर्व स्वीकृत योजनाएं एवं सैद्धांतिक स्वीकृति हेतु प्रस्तुत योजनाएँ भाामिल हैं। याचिका में हसदेव ताप विद्युत गृह हेतु स्पे" ाल अलाउंस, गारे–पेलमा–III कोयला खदान लागत पुनरीक्षण एवं नवा रायपुर में मुख्यालय भवन निर्माण योजना भी सम्मिलित हैं। इसके अतिरिक्त पर्यावरण उत्सर्जन मानकों के अनुपालन सहित समस्त सैद्धांतिक रूप से स्वीकृत प्रणालियों की स्थापना एवं कोरबा पि" चम स्थित 2X660 मेगावाट परियोजना से संबंधित अद्यतन स्थिति भी प्रस्तुत की गई हैं।

उपरोक्त याचिका पर सुझाव/आपत्ति इस आम सूचना के प्रका" ान के 21 दिवस के भीतर सचिव, छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग, विद्युत नियामक भवन, सिंचाई कॉलोनी, भाांति नगर, रायपुर – 492001, ईमेल cserc.sec.cg@nic.in के समक्ष, मुख्य अभियंता (सी.एंड आर.ए.), सी.एस.पी.जी.सी.एल. विद्युत सेवा भवन डंगनियां रायपुर – 492013, ईमेल edcnra@cspc.co.in को प्रतिलिपि के साथ, प्रस्तुत किये जा सकते है।

याचिका की प्रति आयोग की वेबसाइट www.cserc.gov.in एवं सी.एस.पी.जी.सी.एल की वेबसाइट https://cspgcl.co.in पर उपलब्ध है। उपरोक्त याचिका की प्रति छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग के कार्यालय एवं साथ ही मुख्य अभियंता (सी.एंड आर.ए.), सी.एस.पी.जी.सी.एल. कार्यालय में उपलब्ध है। याचिका की मुद्रित प्रति कार्यालयीन दिवसों में रुपये 100/– का भुगतान कर पूर्वान्ह 11:00 से सांयः 4:00 के बीच प्राप्त की जा सकती है। याचिका की प्रति रुपये 50/– (डाक व्यय) का अतिरिक्त भुगतान कर डाक द्वारा भी प्राप्त की जा सकती है। सुनवाई हेतु स्थल एवं दिनांक की सूचना आयोग द्वारा पृथक से समाचार पत्रों में प्रकाि" ात की जावेगी।

मुख्य अभियंता (सी. एंड आर.ए.)
सी.एस.पी.जी.सी.एल., रायपुर